भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †1718
दिनांक 29.07.2026 को उत्तर देने के लिए

उत्तर प्रदेश में अवैध बालू खनन की निगरानी

†1718. श्री पुष्पेंद्र सरोजः
श्री आनंद भदौरियाः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में अवैध बालू खनन की निगरानी को सुदृढ़ करने के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(ख) उत्तर प्रदेश के ऐसे जिलों की संख्या क्या है जहाँ जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदनों की सतत बालू खनन प्रबंधन दिशा-निर्देशों तथा बालू खनन के लिए प्रवर्तन एवं निगरानी दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु सरकार द्वारा समीक्षा की गई है तथा इनमें चिह्नित की गई कमियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त राज्य में अवैध खनन का पता लगाने के लिए खनन निगरानी प्रणाली, उपग्रह आधारित निगरानी और अन्य डिजिटल साधनों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है तथा सरकार द्वारा इसके लिए प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और
(घ) अवैध बालू खनन के विरुद्ध निगरानी, पारदर्शिता और प्रवर्तन में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को जारी किए गए परामर्शों, दिशानिर्देशों या निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क) और (घ): साधारण बालू एक गौण खनिज है तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 की धारा 15 के तहत, राज्य सरकारों के पास

गौण खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। इसके अलावा, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के तहत, राज्य सरकारों के पास खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। इसलिए, ये मामले राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। खान मंत्रालय ने पिछले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार को बालू के अवैध खनन के विरूद्ध निगरानी, पारदर्शिता और प्रवर्तन में सुधार लाने के लिए कोई सलाह, दिशानिर्देश अथवा निदेश जारी नहीं किए हैं।

(ख): जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) तैयार करना, इसका अद्यतन और इसे अनुमोदित करना संबंधित राज्य और जिला प्राधिकरणों का उत्तरदायित्व है। उत्तर प्रदेश (यूपी) की राज्य सरकार के अनुसार, जिले में उपलब्ध खनिजों की मात्रा का आकलन करते हुए सभी क्षेत्रों के लिए एक जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है तथा यह रिपोर्ट जनता की सुविधा के लिए जिले की एनआईसी वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

(ग): खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) एक सैटेलाइट आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे राज्य सरकारों को प्रमुख खनिजों के संभावित अवैध खनन की पहचान करने में सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह पट्टे की सीमाओं के 500 मीटर के भीतर सैटेलाइट इमेजरी का विश्लेषण करके विसंगतियों की पहचान करता है, जिन्हें "ट्रिगर्स" के रूप में चिह्नित किया जाता है और फील्ड सत्यापन के लिए राज्य सरकारों को भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश में एमएसएस के माध्यम से कुल 10 ट्रिगर्स उत्पन्न हुए हैं।
